न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस

मूल वाद पत्र संख्या– 43/2020 (पुराना)

141/2022 (इस न्यायालय का)

मालचंद वर्मा उर्फ माल्या पुत्र रूघाराम जाति बलाई, निवासी–भगवतपुरा, तह0–जोबनेर, जयपुर (राज0)

.......वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर, राज0।

........प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती किये जाने नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री दिनेश वर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी।
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः–10.02.2023

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादी अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:– वादी की आराजीयात ख.न. 212 रकबा 2.0991 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 2.0991 है0 वाके ग्राम भगवतपुरा, तह0 जोबनेर में स्थित है। उपरोक्त अराजीयात वादी एवं वादी के पिता ने दिनांक 22.06.1964 को नानगराम पुत्र उदा जाति जाट निवासी भगवतपुरा तह0 जोबनेर से रजिस्टर्ड बेचान पत्र द्वारा खरीदी थी। सन् 1964 में वादी नाबालिग था एवं वादी का पिता अनपढ गांवाई व्यक्ति होने के कारण रजिस्टर्ड विक्रय करवाते समय अपने पुत्र अर्थात वादी का घरेलू बोलता नाम माल्या पुत्र रूघा के नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवा लिया। उसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी का नाम नामान्तरण में माल्या पुत्र रूघा राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। वादी के पिता का देहान्त दिनांक 10 जुलाई 1978 में होने एवं वादी एकमात्र वारीस होने से सम्पूर्ण आराजीयात वादी के नाम माल्या पुत्र रूघा के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दी गई। वादी के सभी शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड एवं बैकिंग दस्तावेज सभी में वादी का नाम मालचन्द वर्मा पुत्र रूधाराम जाति बलाई है। वादी जब अपने नाम को दुरूस्त करवाने पटवारी हल्का के पास गया तो उन्होने न्यायालय से आदेश लाने पर नाम की

.....2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

दुरूस्ती किये जाने को कहा। इसलिए यह वाद बाबत दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किये गये।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 23/12/2022 को बिन्दूवार मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार माल्या उर्फ मालचन्द माल्या पुत्र रूघा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 12.01.2023 फर्द मौका प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार माल्या एवं मालचन्द दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

वाद पत्र एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद में निम्न विवाद्यक तथ्य विरचित किए गयेः–

1- आया वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नं. 212 रकबा 2.0991 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.0991 वाके ग्राम भगवतपुरा पटवार हल्का ढीण्ढा में वादी का नाम माल्या पुत्र रूघा जाति बलाई के स्थान पर मालचन्द वर्मा पुत्र रूघाराम जाति बलाई दर्ज किया जावे।

– बजिम्मे वादी

2. दादरसी

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2, पीडब्ल्यू–3 को परीक्षित करवाया तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जो प्रदर्श–1 लगा0 प्रदर्श–4 है।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में वादी के दावे का समर्थन किया।

बहस उभयपक्षकारान की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्येक विवाद्यक पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

1. विवाद्यक संख्या–1:–

इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से दौराने बहस अभिवचन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया की वादी की आराजीयात ख.न. 212 रकबा 2.0991 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 2.0991 है0 वाके ग्राम भगवतपुरा, तह0 जोबनेर में स्थित है। उपरोक्त अराजीयात वादी एवं वादी के पिता ने दिनांक 22.06.1964 को नानगराम पुत्र उदा जाति जाट निवासी भगवतपुरा तह0 जोबनेर से रजिस्टर्ड बेचान पत्र द्वारा खरीदी थी। सन् 1964 में वादी नाबालिग था एवं वादी का पिता अनपढ गांवाई व्यक्ति होने के कारण रजिस्टर्ड विक्रय करवाते समय अपने पुत्र अर्थात वादी का घरेलू बोलता नाम माल्या पुत्र रूघा के नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवा लिया। उसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी का नाम नामान्तरण में माल्या पुत्र रूघा राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। वादी के पिता का देहान्त दिनांक 10 जुलाई 1978 में होने एवं वादी एकमात्र वारीस होने से सम्पूर्ण आराजीयात वादी के नाम माल्या पुत्र रूघा के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दी

.....3

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

गई। वादी के सभी शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड एवं बैकिंग दस्तावेज सभी में वादी का नाम मालचन्द वर्मा पुत्र रूघाराम जाति बलाई है। वादी द्वारा साक्ष्य में वादी पीडब्लयू–1 माल्या उर्फ मालचंद वर्मा, पीडब्ल्यू–2 मोहनी देवी एवं पीडब्ल्यू–3 भूरी देवी को परीक्षित कराया। पीडब्लयू–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि अराजीयात वादी एवं वादी के पिता ने दिनांक 22.06.1964 को नानगराम पुत्र उदा जाति जाट निवासी भगवतपुरा तह0 जोबनेर से रजिस्टर्ड बेचान पत्र द्वारा खरीदी थी। सन् 1964 में वादी नाबालिग था एवं वादी का पिता अनपढ गांवाई व्यक्ति होने के कारण रजिस्टर्ड विक्रय करवाते समय अपने पुत्र अर्थात वादी का घरेलू वोलता नाम माल्या पुत्र रूघा के नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवा लिया। उसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी का नाम नामान्तरण में माल्या पुत्र रूघा राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। इस प्रकार उक्त खातेदारी में मेरे 1/2 और मेरे पिता के 1/2 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। पीडब्ल्यू–2 मोहनी देवी एवं पीडब्ल्यू–3 भूरी देवी द्वारा भी साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में वादी के वाद पत्र के अभिवचनों की ताईद की।

वाद पत्र, वादी की साक्ष्य, तहसीलदार जोबनेर की मौका रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 लगा0 प्रदर्श 4 का आद्योपान्त अवलकोन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अतः विवाद्यक सं. 1 बहक वादी विनिश्चित किया जाता है।

अनुतोषः–

चुकि वादी विवाद्यक संख्या 1 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अतः उपरोक्त विवाद्यक के निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार होने योग्य है एवं खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम भगवतपुरा के विवादग्रस्त आराजी ख.न. 212 रकबा 2.0991 कुल किता 1 कुल रकबा 2.0991 सम्पूर्ण वादी के नाम दर्ज है, जिसमें वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में माल्या पुत्र रूघा के स्थान पर मालचन्द वर्मा पुत्र रूघाराम दर्ज किए जाने के आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/2/2023

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर** मुकाम जोबनेर जिला जयपुर व इजलास **श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0,**

मालचंद वर्मा उर्फ माल्या बनाम राजस्थान सरकार

वाद पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती किये जाने नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955

मूल वाद पत्र संख्या– 43/2020 (पुराना) एवं 141/2022 (इस न्यायालय का)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0 बहाजरी** श्री दिनेश वर्मा, विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व सरकार पैरोकार वास्ते प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वादी मालचंद वर्मा उर्फ माल्या द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती निम्न प्रकार से निर्णीत किया जाता है:–

वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् घोषणा दुरूस्ती सभी अनुतोषों के बाबत् स्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10 माह 02 सन् 2023 को जारी किया गया।

वाद के खर्चे

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.......	02/–		स्टाम्प वकालतनामा....	00/–	
स्टाम्प वकालतनामा....	01/–		स्टाम्प वजह सबूत......		
स्टाम्प वजह सबूत......			महनताना वकील.......		
महनताना वकील.......			खर्चा गवाहान......		
खर्चा गवाहान......			फीस कमिश्नर......		
फीस कमिश्नर......			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा......		
हुक्मनामा......			मुतफर्रिक.......		
मुतफर्रिक.......	12/–		मीजान.......		
मीजान.......					
कुल	15/–			00/–	

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

मालचंद वर्मा उर्फ माल्या पुत्र रूघाराम जाति बलाई, निवासी–भगवतपुरा, तह0– जोबनेर, जयपुर (राज0)

........वादी

बनाम्

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर, राज0।

........प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

क्रमांक/कोर्ट/राजस्व/81

दिनांकः–15/02/2023

निमितः–1. तहसीलदार, जोबनेर

मालचंद वर्मा उर्फ माल्या पुत्र रूघाराम जाति बलाई, निवासी–भगवतपुरा, तह0– जोबनेर, जयपुर (राज0)

......वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर, राज0।

........प्रतिवादी

<u>वाद पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती किये जाने नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955</u>

मूल वाद पत्र संख्या– 43/2020 (पुराना)
141/2022 (इस न्यायालय का)

उपरोक्त प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती किये जाने नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955 को दिनांक 10.02.2023 को निर्णीत किया गया है। आपको आदेशित किया जाता है कि निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए पालना करना सुनिश्चित करें।

अतः आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संलग्नः– निर्णय की प्रति

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर